

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा
पीठासीन अधिकारी - देवेन्द्रकुमार
आई०ए०एस०

प्रार्थना पत्र सं० 50/2020 अंतर्गत धारा 64 रा.रा.अ.
जमील खाँ पुत्र पीर खाँ जाति मुसलमान निवासी दौसा जिला दौसा राज०

... प्रार्थी

बनाम

1. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, योजना क्रियान्वयन इकाई दौसा जरिये परियोजना निदेशक कार्यालय रावत पैलेस के पास, आगरा रोड, दौसा
2. तहसीलदार, तहसील दौसा
3. भूमि अवाप्ति अधिकारी 11 ए, वर्तमान एन.एच.21 ए (उप जिला कलेक्टर) दौसा

... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 64 THE RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN
LAND ACQUISITION REHABILITATION AND RESETTLEMENT ACT 2013

- उपस्थित— 1. श्री वरुण नागर, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री अभिनव जैन, अधिवक्ता अप्रार्थी सं० 1 की ओर से।
3. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांक 26.03.2025

1. संक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी दौसा द्वारा ग्राम दौसा कलां के खसरा नंबर 1134 के पारित मुआवजा अवार्ड आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी दौसा से बिन्दुवार तत्यात्मक टिप्पणी प्राप्त की गई। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील दी कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3ए के तहत दिनांक 13-12-2016 को एक अधिसूचना दौसा लालसोट कोथून सैक्शन को चौड़ा करने के प्रयोजन की दिनांक 22-12-16 के राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र में प्रकाशित की गई एवम उक्त विज्ञापित में कस्बा दौसा में से अवाप्त की जाने वाली भूमि के खसरा नम्बर व रकबा अंकित किये गये। खसरा नम्बर 1134 जो कि नगर परिषद दौसा की गै. मु. आबादी में दर्ज है बाबत भी उक्त अवाप्ति की कार्यवाही की गई। उक्त अवाप्ति की कार्यवाही होने के बाद दिनांक 12-4-18 को फाईनल अवार्ड जारी किया गया एवम उक्त अवार्ड क्रमांक 14 पर पारित किया गया जिसमें 0.0102 हैक्टेयर भूमि अर्थात 102 वर्ग मीटर भूमि अवाप्त करना बताया गया। प्रार्थी जमील खाँ पुत्र पीर खाँ ने जरिए इकरारनामा दिनांक 27.5.2005 के द्वारा भूमि खसरा नम्बर 1134 में से एक भूखण्ड, भूखण्ड संख्या 09 जिसका कुल क्षेत्रफल 111.11 वर्ग गज है जिसकी पैमाईश पूर्व पश्चिम 50 फीट उत्तर दक्षिण 20 फीट जरिए इकरारनामा खातेदार सरदार खाँ पुत्र खाजू खाँ मुसलमान निवासी दौसा से खरीद किया था व कब्जा प्राप्त किया था एवम उसके बाद प्रार्थी ने उक्त खरीदशुदा प्लॉट के चारों ओर बाउण्डरी वाल मय भरत के निर्मित की गई। इसके अलावा प्रार्थी ने उक्त भूमि में 300 घीड़ों की बौरिंग भी खुदवाया जिसमें प्रार्थी ने करीब पांच लाख रुपये खर्च किये जिसमें 100 घीड़ों की मोटर वाहन इत्यदि की धुलाई का सर्विस स्टेशन चला रखा था एवम उक्त भूखण्ड व्यवसायिक प्रयोजनार्थ था। 5 यह कि खसरा नम्बर 1134 में खातेदार ने अन्य लोगों को भी भूखण्ड

जिला कलेक्टर, दौसा

प्लान बनाकर विक्रय कर रखे है। खसरा नम्बर 1134 में से केवल 102 वर्ग गज भूमि ही अवाप्त करना बताया गया है। खसरा नम्बर 1134 से लगती हुई दक्षिणी दिशा 1210/2, 1210/3, 1210/4, की और भूमि खसरा नम्बर 1210/1, 1210/5 है एवम उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करने के लिए उक्त भूमि को भी अवाप्त किया गया है। प्रार्थी ने 111.11 वर्ग गज भूमि उपरोक्त वर्णित विक्रय पत्र के द्वारा खरीद की है एवं अभी भी प्रार्थी की भूमि अवाप्ति के अवार्ड के अनुसार बची हुई है लेकिन मौके पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इण्डिया के अधिकारियों ने खसरा नम्बर 1134 में से अवाप्त की गई 102 वर्ग मीटर भूमि से भी ज्यादा काफी बड़े हिस्से में मुडडीया गाडकर निशानात लगा रखे है व अपनी भूमि बता रखी है। उपरोक्त परिस्थितियों में अवाप्तशुदा भूमि व शेष बची हुई भूमि का एक अनावश्यक विवाद पैदा हो रहा है इसलिए खसरा नम्बर 1210 व खसरा नम्बर 1134 में से अवाप्त की हुई भूमि व शेष बची हुई भूमियों का सीमाज्ञान करवाया जाकर उनकी नाप जोख करवाया जाना व निशानात कायम करवाया जाना आवश्यक है ताकि प्रार्थी अपनी शेष बची हुई भूमि में पुनः स्थापित हो सके व अपना निर्माण कार्य कर सके। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इण्डिया को खसरा नम्बर 102 वर्ग मीटर पर अधिकार प्राप्त है व शेष भूमि से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इण्डिया का कोई संबंध वास्ता नहीं है इसलिए धारा 64 में इस संबंध में सीमाज्ञान कराने का क्षेत्राधिकार केवल न्यायालय श्रीमान को ही है। माननीय श्रीमान ने उक्त भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही के लिए उप जिला कलेक्टर दौसा को अधिकृत किया हुआ था जिन्होंने अपनी सम्पूर्ण कार्यवाही कर ली है एवम अब भूमि का सीमांकन केवल श्रीमान के द्वारा ही करवाया जाना शेष रह गया है। प्रार्थी भूमि खसरा नम्बर 1134 के अवार्ड में जो भूमि अवाप्त करना बतलाया गया है उसमें नेशनल हाईवे व उनके अधिकारियों ने सही रूप में सीमांकित कर निशानात कायम नहीं किये है एवम इस संबंध में प्रार्थी को कोई नोटिस भी नहीं दिया गया इसलिए प्रार्थी के समक्ष सीमाज्ञान होना न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर भूमि खसरा नम्बर 1134, 1210/1, 1210/2, 1210/3, 1210/4, 1210/5 में से अवाप्त की गई भूमियों का सीमाज्ञान कर उसके निशानात कायम किये जाने का आदेश फरमावे। प्रदान करने की कृपा करें।

4. अधिवक्ता अप्रार्थी सं० 1 ने बहस में कथन किया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 के प्रावधानों के तहत गठित एक संविधिक निकाय है जिसको कि राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, प्रबन्ध एवं रख-रखाव की जिम्मेदारी सौंपी गई है तथा प्राधिकरण का यह सत्त प्रयास है कि वह जनसाधारण को सुरक्षित तथा पर्याप्त रूप से निर्मित व विकसित राष्ट्रीय राजमार्ग उपलब्ध कराये। प्रार्थी द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 64 THE AND RIGHT FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION REHABILITATION RESETTLEMENT ACT 2013 के अन्तर्गत माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जबकि भूमि अवाप्ति की कार्यवाही राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत की गयी है। माननीय श्रीमान को भारत सरकार द्वारा मध्यस्थ नियुक्त किया गया है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि के सम्बन्ध में निर्धारित मुआवजा राशि के सम्बन्ध में किसी पक्षकार को कोई आपत्ति है तो वह राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3जी (5) के तहत भारत सरकार द्वारा नियुक्त मध्यस्थ के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के प्रावधानों के विपरित प्रस्तुत किया गया है जो कि खारिज किये जाने योग्य है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण किसी भी राजमार्ग को व्यापक लोकहित में देखते हुए उसे राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित करने का कार्य करती है, तथा अधिनियम की धारा 2 के तहत किसी भी राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित करने की अधिघोषणा करती है, तथा उक्त अधिघोषणा केन्द्र सरकार

द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचना जारी कर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित करती है। केन्द्र सरकार किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग के प्रबंधन, अनुरक्षण, प्रचालन, चौड़ा करने, 4/6 लेनीकरण करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 की उपधारा के तहत केन्द्र सरकार भारत के राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति करती है, जिसके तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा भूमि अधिग्रहण एवं मुआवजा अभिनिर्धारण का कार्य सम्पन्न करवाया जाता है। भूमि अवाप्ति अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के प्रावधानों के तहत अवाप्ती की सम्पूर्ण कार्यवाही कर 4/6 लेनीकरण के लिए भूमि उत्तरदाता प्राधिकरण को सुपुर्द करती है, जिसके पश्चात् ही उत्तरदाता प्राधिकरण द्वारा 4/6 लेनीकरण का कार्य सम्पन्न करवाया जाता है। भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय केन्द्र सरकार नई दिल्ली ने व्यापक लोक हित को देखते हुए भारत में राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 ए एक्सटेंशन के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के अधीन आवश्यक भूमि की अवाप्ति हेतु अप्रार्थी संख्या 3 सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) के रूप में उपखण्ड अधिकारी, दौसा (राजस्थान) को प्राधिकृत किया गया। भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय केन्द्र सरकार नई दिल्ली ने व्यापक लोक हित को देखते हुए भारत में राजस्थान राज्य के दौसा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11ए एक्सटेंशन के 0/000 कि.मी. से 18/980 कि.मी. तक के भूखण्ड (दौसा-लालसोट-कौथून सेक्शन) के निर्माण (चौड़ा करने /चार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए भूमि अपेक्षित है, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 (अ) की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोजन करते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली की अधिसूचना का.आ. 4016 (अ) दिनांक 13.12.2016 जिसका प्रकाशन राजस्थान राज्य के दो प्रमुख समाचार पत्रों राजस्थान पत्रिका और समाचार जगत में दिनांक 22.12.2016 को किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 सी के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 3 ए के अन्तर्गत नोटिफिकेशन के विरुद्ध उस भूमि में हित रखने वाला कोई भी व्यक्ति धारा 3 ए के नोटिफिकेशन जारी होने के 21 दिन के अन्दर अपनी आपत्तियाँ सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता था तथा समक्ष अधिकारी उक्त व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों को अपने आदेश द्वारा स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। धारा 3 ए का नोटिफिकेशन जारी होने के पश्चात् जिन व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 सी के अन्तर्गत आपत्तियाँ प्रस्तुत की गईं उन्हें पूर्ण सुनवाई का अवसर दिया गया तथा उक्त आपत्तियों को सुनने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी द्वारा आपत्तियों का विधि के प्रावधानों के अनुसार निस्तारण किया गया। सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 ए एक्सटेंशन के दौसा-लालसोट-कोथून खण्ड के सम्बन्ध में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 सी के अन्तर्गत समस्त प्राप्त आक्षेपों पर विचार कर उन्हें निर्णित करने के पश्चात् अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजी जिसके पश्चात् केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 डी के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या का. आ. 1259 (अ) दिनांक 21. 04. 2017 जारी की गयी। उक्त अधिसूचना का सार दो दैनिक समाचार पत्रों दैनिक नवज्योति व राजस्थान पत्रिका दोनों में दिनांक 18.05.2017 के अंको में प्रकाशित किया गया जिसमें ग्राम दौसा कलां स्थित भूमि खसरा नंबर 1134 गै.मु.आबादी रकबा 0.0102 है 0 नगर पालिका दौसा (रूपान्तरित भूमि जरिये 90-बी) व नगर परिषद दौसा (रूपान्तरित भूमि जरिये 90 ए) भी शामिल है। उक्त अधिसूचना के पश्चात् समस्त अधिग्रहित भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में अन्तिम रूप से निहित हो चुकी है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 डी (1) के अन्तर्गत घोषणा के प्रकाशन के

पश्चात् समस्त अधिग्रहित भूमि केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाती है जिसमें प्रार्थीगण की भूमि भी सम्मिलित है तथा जिसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3 एफ के अनुसार धारा 3 डी के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार में निहित भूमि पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति उक्त भूमि पर निर्माण, रख-रखाव अथवा उससे सम्बन्धित अन्य कोई कार्य करने हेतु प्रवेश कर सकता है। सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 जी के तहत अवाप्तशुदा भूमि का मूल्य एवं निर्माण की मुआवजा राशि का निर्धारण कराया गया व राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3 जी में दिये गये निर्देशों की पालना में एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत 100 प्रतिशत वृद्धि की जाकर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि की मुआवजा राशि की गणना उप पंजीयक से प्राप्त निर्धारित डीएलसी दर के आधार पर की गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3 एफ के अनुसार धारा 3 डी के अन्तर्गत केन्द्रीय-सरकार में निहित भूमि पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति उक्त भूमि पर निर्माण, रख-रखाव अथवा उससे सम्बन्धित अन्य कोई कार्य करने हेतु प्रवेश कर सकता है। सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत अवार्ड पारित किया गया जिसमें कि सम्बन्धित भूस्वामी से अवाप्ति की गई भूमि की नाप, उसकी किस्म तथा निर्धारित मुआवजा आदि का विवरण दिया गया है जो विवरण भूमि का अवार्ड में दिया गया है उसके अतिरिक्त ना तो कोई अन्य भूमि ना ही भूमि का जो नाप दी गयी है उससे कम या ज्यादा भूमि अवाप्त की गई है। केवल वही भूमि तथा उतनी ही भूमि अवाप्त की गई है जिसका विवरण अवार्ड में दिया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। राष्ट्रीय राजमार्ग के विस्तार हेतु जिस भूमि की अवाप्ति की गई है तथा जो भूमि विधिक रूप से सरकार की भूमि है उसी पर सडक इत्यादि का निर्माण किया जा रहा है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है व माननीय श्रीमान को प्रस्तुत प्रकरण सुनने का कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना में वर्णित अवाप्तशुदा भूमि तथा जो भूमि विधिक रूप से सरकार की भूमि है उसी पर सडक इत्यादि का निर्माण किया जा रहा है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 में वर्णित प्रावधानों के विपरित प्रस्तुत किया गया है। माननीय श्रीमान को मुआवजा राशि के कम व ज्यादा के सम्बन्ध में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3जी (5) के तहत मध्यस्थ नियुक्त किया गया है। अन्य बिन्दुओं को माननीय श्रीमान को सुनने का कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। इस कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा माननीय श्रीमान को मुआवजा राशि के कम व ज्यादा के सम्बन्ध में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3जी (5) के तहत मध्यस्थ नियुक्त किया गया है। अन्य बिन्दुओं को माननीय श्रीमान को सुनने का कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 में वर्णित प्रावधानों के विपरित प्रस्तुत किया गया है जो कि मय हर्जे खर्चे निरस्त फरमाया जावे।

5. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी दौसा द्वारा ग्राम दौसा कलां स्थित भूमि खसरा नंबर 1134 में स्थित अवाप्तशुदा भूमि का राजस्व अभिलेख में अंकित अनुसार मुआवजा अवार्ड आदेश पारित किया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।
6. भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी दौसा से टिप्पणी प्राप्त की गई जिसके अनुसार ग्राम दौसा कलां स्थित भूमि खसरा नंबर 1134 में से 0.0102 है। भूमि किस्म गै0मु0आबादी एवं

खसरा नंबर 1210/4 में से 0.0400 है। भूमि अवाप्त की गई है। खसरा नंबर 1210/3 में से कोई भूमि अवाप्त नहीं की गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 11 ए विस्तार दौसा-लालसोट-कौथून खंड हेतु ग्राम दौसा कलां स्थित भूमि खसरा नंबर 1134 में से रकबा 0.0102 है। एवं खसरा नंबर 1210/1 में से 0.07 है। भूमि, खसरा नंबर 1210/2 में से रकबा 1.1336 है., खसरा नंबर 1210/4 में से 0.04 है। खसरा नंबर 1210/5 में से 0.14 है। भूमि अवाप्त की गई है। ग्राम दौसा कलां स्थित भूमि खसरा नंबर 1134 राजस्व रिकार्ड के अनुसार नगरपरिषद दौसा के नाम दर्ज रिकार्ड है एवं खसरा नंबर 1210/1, 1210/4, 1210/5 खातेदारी भूमि तथा खसरा नंबर 1210/2 सिंचाई विभाग एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज रिकार्ड है। ग्राम दौसा कलां स्थित उक्त अवाप्तिशुदा भूमि की मुआवजा राशि का निर्धारण करने हेतु उप पंजीयक दौसा से ग्राम दौसा कलां की डीएलसी दर प्राप्त कर प्रचलित डीएलसी दर से उक्त खसरा नंबरान की मुआवजा राशि का निर्धारण कर संबंधित हितधारियान को मुआवजा राशि का भुगतान किया जा चुका है एवं खसरा नंबर 1134 में कब्जे व स्वामित्व का विवाद होने के कारण उक्त की मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

7. हमने उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।
8. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर अवाप्त की गई भूमि का सीमाज्ञान कर उसके निशानात कायम किये जाने के आदेश प्रदान करने का अनुतोष प्रार्थना पत्र में चाहा गया है। साथ ही उनके द्वारा बहस में माननीय जिला न्यायाधीश दौसा द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.9.2022 रैफरेन्स प्रकरण सं० 93/2018 में पारित आदेश के कियान्वयन हेतु आग्रह किया गया।
9. अतः प्रकरण भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखंड अधिकारी) दौसा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि माननीय जिला न्यायाधीश दौसा द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.9.2022 प्रकरण सं० 93/2018 की पालनार्थ एवं प्रार्थी द्वारा इस प्रार्थना पत्र में उठाये गये बिन्दुओं पर विधिसम्मत कार्यवाही कर निर्णय पारित करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

(देवेन्द्र कुमार)

जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 26 मार्च, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियत समयावधि के भीतर की जा सकेगी।



(देवेन्द्र कुमार)

जिला कलेक्टर, दौसा